संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्यप्रदेश

Website: www.dif.mp.gov.in

राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ

विन्ध्याचल भवन, "ग" खण्ड,
प्रथम तल, भोपाल – 462004

☎ - (0755) 2551199, 2552003
फैक्स - (0755) 2551387
ई-मेल : difbho@mp.nic.in

क्रमांक ब्रिस्क/2010-11/संविसं/859
भोपाल दिनांक 19 मार्च 2011

प्रति

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः- **बिस्क योजना वर्ष 2010-11 की रूपरेखा**

ब्रिस्क योजना अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान उत्कृष्ट वसूली निष्पादित करने वाले ज़िलों के कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक तथा राजस्व अधिकारियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार **रूपरेखा** एवं **मापदण्ड/नियमावली** (Guidelines/Rules) निर्धारित की जाती हैं:-

मापदण्ड/नियमावली (Guidelines/Rules)

1. दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2011 तक के लिये ज़िले हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना;

2. आलोच्य अवधि में अर्जित वसूली की जानकारी मुख्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक 15 मई 2011;

3. ज़िले द्वारा वर्ष 2010-11 तक की अवधि हेतु देय सम्पूर्ण राज्यांश राशि का भुगतान 31.05.2011 तक करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित दिनांक तक शेष राज्यांश की राशि प्राप्त नहीं होने पर ऐसे ज़िले को अपा. माना जाएगा।

4. मुख्यालय में निम्नांकित जानकारी प्राप्त होने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 31 मई 2011:

   - ब्रिस्क योजना में दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2011 तक की अवधि हेतु राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ को देय राज्यांश राशि (कुल वसूली का 0.5 प्रतिशत) का भुगतान (प्रपत्र-1);
   - आलोच्य वर्ष के दौरान जिलों में अर्जित वसूली की बैंक-वार एवं राजस्व अधिकारी-वार वसूली की जानकारी (प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3);

- आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले के पात्र राजस्व अधिकारियों को उनके द्वारा वसूल की गई कुल राशि का एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि वितरित करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र मय पूर्ण विवरण (प्रपत्र-4);
- आलोच्य वर्ष के दौरान अर्जित वसूली का 3 प्रतिशत कार्यवाही ख़र्च कोषालय में जमा करने का विवरण (प्रपत्र-5);
- आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले में कार्यरत कलेक्टर व अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के नाम व उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली की जानकारी (प्रपत्र-6-अ एवं प्रपत्र-6-ब)

5. ब्रिस्क योजना के प्रारम्भ यथा वर्ष 1995-1996 से वर्ष 2010-2011 तक समस्त वर्षो का अंकेक्षण कराना। ज़िला स्तरीय ब्रिस्क लेखों का अंकेक्षण बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय द्वारा किया जाएगा;

6. मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम 1988 के प्रारूप 4,5,6,9 तथा 10 में वसूली की जानकारी नियमित रूप से संचालनालय प्रेषित की जाय।

निर्धारित मापदण्डों/नियमावली में से किसी भी एक मापदण्ड में चूक करने पर ज़िले के अधिकारी (यथा कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक) को शील्ड, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रोत्साहिकी प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी एवं **समग्र राज्यांश (विगत वर्षो सहित, यदि अभी भी शेष हों) प्राप्त न होने पर ज़िले की वसूली को प्रगति पत्रक में शामिल नहीं किया जायेगा।**

<u>उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के लिये प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान की रूपरेखा</u> :

1. **<u>राज्य स्तर पर सर्वाधिक (प्रतिशत) वसूली पुरस्कार</u>:** आलोच्य अवधि में दिये गये लक्ष्य के विरूद्ध सर्वाधिक प्रतिशत वसूली अर्जित करने वाले तीन ज़िलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं सम्बन्धित कलेक्टर तथा अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को व्यक्तिगत पारितोषिक एवं प्रशस्ति-पत्र राज्य स्तर पर दिये जायेंगे।

2. **<u>संभाग स्तर पर सर्वाधिक (प्रतिशत) वसूली पुरस्कार</u>:** राज्य स्तर पर सर्वाधिक प्रतिशत वसूली अर्जित करने वाले ज़िलों को छोड़ कर आलोच्य अवधि में <u>प्रत्येक संभाग</u> में लक्ष्य के विरूद्ध <u>सर्वाधिक प्रतिशत वसूली</u> अर्जित करने वाले ज़िले को पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं सम्बन्धित कलेक्टर तथा अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को व्यक्तिगत पारितोषिक एवं प्रशस्ति-पत्र राज्य स्तर पर दिये जायेंगे।

क्रमशः ... 3/-

3. **आदिवासी बाहुल्य ज़िलों को विशेष पुरस्कार:** राज्य एवं संभाग स्तर पर पुरस्कृत ज़िलों को छोड़कर आलोच्य अवधि में आदिवासी बाहुल्य (Tribal) ज़िलों (यथा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल एवं सीधी) में **सर्वाधिक प्रतिशत वसूली अर्जित** करने वाले तीन ज़िलों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं संबंधित कलेक्टर तथा अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को व्यक्तिगत पारितोषिक एवं प्रशस्ति-पत्र राज्य स्तर पर दिये जायेंगे।

4. **वसूली अर्जित करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहिकी का निर्धारण:** पुरस्कार प्राप्त ज़िलों के कलेक्टर एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक को उनके ज़िले में हुई वसूली के आधार पर कुल वसूली गई राशि का क्रमशः 0.10 एवं 0.05 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहिकी देय होगी। विद्यमान प्रकियानुसार प्रोत्साहिकी राशि का नग़द भुगतान न करते हुए पुरस्कार प्राप्त अधिकारी द्वारा क्रय की गई कोई वस्तु, वित्तीय योजनाओं में निवेश, उच्च शिक्षण शुल्क का भुगतान अथवा निजी यात्रा के टिकिट/प्रतिभूति की रसीद/बिल के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा। व्यय की गई राशि निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक होने की स्थिति में आधिक्य राशि सम्बन्धित द्वारा वहन की जायेगी।

5. **राज्य स्तरीय राजस्व (वसूली) अधिकारियों को पुरस्कार:** दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर सर्वाधिक वसूली अर्जित करने वाले तीन राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार / अपर-तहसीलदार / नायब-तहसीलदार) को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा।

6. **ज़िला स्तरीय राजस्व (वसूली) अधिकारियों को पुरस्कार:** उपरोक्त वर्ग (category) के अतिरिक्त दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक ज़िले में सर्वाधिक वसूली अर्जित करने वाले एक राजस्व अधिकारी (तहसीलदार / अपर-तहसीलदार / नायब-तहसीलदार) को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा।

7. शील्ड ज़िले के नाम से होगी जो ज़िला मुख्यालय में ही रखी जायेगी, जबकि प्रशस्ति-पत्र व्यक्तिगत होगा।

8. आलोच्य वर्ष के दौरान एक से अधिक अधिकारी (यथा कलेक्टर/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक) के कार्यरत होने पर अधिक वसूली करने वाले अधिकारी को राज्य स्तरीय ब्रिस्क पुरस्कार वितरण समारोह में शील्ड कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को संयुक्त रूप से दी जायेगी।

हस्ता/-
(नीतेश व्यास)
अध्यक्ष, ब्रिस्क प्रबन्ध समिति
एवं संचालक, संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश

क्रमशः ... 4/-

क्रमांक ब्रिस्क/रूपरेखा/2010-11/संविसं/860 **भोपाल दिनांक 19 मार्च 2011**

प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकितः-

1. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, वाणिज्यिक बैंक, मध्यप्रदेश
4. समस्त अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्यप्रदेश
5. समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, मध्यप्रदेश

हस्ता/-

अध्यक्ष, ब्रिस्क प्रबन्ध समिति
एवं संचालक, संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश

प्रपत्र–1

राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ को चर्ष 2010–11 हेतु देय राज्यांश;

ज़िले का नाम	ज़िले में अर्जित कुल वसूली	0.5 प्रतिशत दर से देय राज्यांश	मुख्यालय प्रेषित राज्यांश	ड्राफ्ट कमांक व दिनांक	रिमार्क

प्रपत्र–2

जिले में वर्ष 2010–11 के दौरान बैंक–वार अर्जित वसूली की जानकारी;

ज़िले का नाम	ज़िले में कार्यरत बैंक का नाम	बैंकवार अर्जित वसूली	रिमार्क

प्रपत्र–3

जिले में वर्ष 2010–11 के दौरान राजस्व अधिकारी वार अर्जित वसूली की जानकारी;

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ राजस्व अधिकारी का नाम	राजस्व अधिकारी द्वारा अर्जित वसूली	रिमार्क

प्रपत्र–4

ज़िले द्वारा वर्ष 2010–11 हेतु राजस्व अधिकारी को देय प्रोत्साहिकी का प्रमाण पत्र;

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ राजस्व अधिकारी का नाम	राजस्व अधिकारी द्वारा अर्जित वसूली	1.0 प्रतिशत दर से राजस्व अधिकारी को देय प्रोत्साहिकी	ड्राफ्ट / चैक कमांक एवं दिनांक	रिमार्क

प्रपत्र–5

वर्ष 2010–11 के दौरान शासकीय खाते में 3 प्रतिशत की दर से भुगतान की गई कार्यवाही ख़र्च की राशि का प्रमाण पत्र;

ज़िले का नाम	ज़िले में अर्जित कुल वसूली	3.0 प्रतिशत दर से देय कार्यवाही ख़र्च राशि	कोषालय में जमा की गई कार्यवाही ख़र्च राशि	चलान कमांक एवं दिनांक	रिमार्क

प्रपत्र–6–अ

वर्ष 2010–11 के दौरान ज़िले में पदस्थ कलेक्टर, ब्रिस्क प्रकोष्ठ प्रभारी एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के नाम व उनके कार्यकाल अवधि में अर्जित वसूली;

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ कलेक्टर के नाम	ज़िले में पदस्थ कलेक्टर के कार्यकाल की अवधि	ज़िले में पदस्थ कलेक्टर के कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली	रिमार्क

प्रपत्र–6–ब

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के नाम	ज़िले में पदस्थ अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के कार्यकाल की अवधि	ज़िले में पदस्थ अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली	रिमार्क